(36)

SPEED POST

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

क्रमांकः A/2-1/2007-WII (AA 2016-17) 09.09.2016

प्रति,

श्री गुमान सिंह नेगी
यूनियन बैंक आफ इण्डिया के समीप
चन्द्रबनी, देहरादून

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपील।

संदर्भ : आपकी अपील दिनांक 29.08.2016।

उपरोक्त संदर्भित अपील के माध्यम से आपने आपके द्वारा दिनांक 30.06.2016 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई निम्न दो जानकारियों के संबन्ध में आपको उपलब्ध कराई गई जानकारी के स्पष्ट न होने के कारण अतिरिक्त जानकारी चाही है:–

1. आपके संस्थान के प्रागंण में बी.एस.एन.एल. का मोबाइल टावर लगा है। आपके द्वारा किस सरकारी विभाग/ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाणपत्र/स्वीकृति ली गई थी। यदि हाँ तो पत्रावली संख्या व अनुमति पत्र की प्रति उपलब्ध करायें।
2. क्या भारतीय वन्यजीव संस्थान को किसी सरकारी संस्था या विभाग से बिना स्वीकृति या अनापत्ति प्रमाण पत्र के आबादी क्षेत्र के नजदीक जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्र व स्कूल भी शामिल हैं, मोबाइल टावर लगाने का अधिकार है? यदि हाँ तो संबन्धित प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध कराये।

उपरोक्त के संबन्ध में सी.पी.आई.ओ., भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा आपको निम्नानुसार जानकारी उपलब्ध कराई थी:–

1. बिंदु संख्या 01 के संबन्ध में भारतीय वन्यजीव संस्थान का भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ 29 मई, 2014 से अनुबंध प्रारम्भ होने की जानकारी दी गई थी।
2. बिंदु संख्या 02 के संबन्ध में निरंक जानकारी दी गई थी।

आपके द्वारा चाही गई जानकारियों के संबन्ध में यह अवगत कराया जाता है कि इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में होने वाली शोध, प्रशिक्षण एवं शिक्षण आदि जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों के सुगम संचालन हेतु एक उत्कृष्ट संचार व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इस हेतु बी.एस.एन.एल. का मोबाइल टावर जिस स्थान पर लगाया गया है, वह स्थान तकनीकी सर्वे करने के उपरान्त ही निश्चित किया गया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा बी.एस.एन.एल. को मोबाइल टावर लगाने के लिये केवल स्थल उपलब्ध कराया गया है। मोबाइल टावर लगाने से संबन्धित समस्त आवश्यक स्वीकृति/अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति करने का दायित्व बी.एस.एन.एल. का है। इस संस्थान के द्वारा बी.एस.एन.एल. द्वारा लगाये गये टावर के संबन्ध में कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है।

एतद् द्वारा आपके द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 29.08.2016 का निराकरण किया जाता है।

(डॉ. वि. बि. माथुर)
निदेशक एवं अपीलीय अधिकारी
भारतीय वन्यजीव संस्थान
चन्द्रबनी, देहरादून.

SPEED POST
9/9/16

पत्रपेटी सं० 18, चन्द्रबनी, देहरादून – 248 001, उत्तराखण्ड, भारत
Post Box No. 18, Chandrabani, Dehradun - 248 001, Uttarakhand, INDIA
ई.पी.ए.बी.एक्स : +91-135-2640111 से 2640115 फैक्स : 0135-2640117
EPABX : +91-135-2640111 to 2640115 Fax : 0135-2640117
ई–मेल/E-mail : wii@wii.gov.in वेब/Website : www.wii.gov.in